राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. डीडीएमए/कोविड/2020/1228 **दिनांक 07.04.2020**

आदेश

जबकि, आदेश सं. डीडीएमए/कोविड/2020/1/3, दिनांक 26.03.2020 (अनुलग्नक–I) के द्वारा दिल्ली के सभी जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है कि वे अपने संबंधित जिलों में दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान उपयुक्त स्थलों पर बेघरों/वंचित/गरीब अथवा व्यथित लोगों को नियमित तौर पर लंच और डिनर के रूप में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने के आदेश दे सकते हैं, जिसमें समाज के सबसे निर्धन वर्गों को भोजन दिए जाने पर जोर रहे और दिल्ली को भूख से मुक्त किया जाना सुनिश्चित हो सके।

और जबकि, दिनांक 29.03.2020 के उपर्युक्त आदेश के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में, सभी जिलाधिकारियों ने, शुरुआत करते हुए, अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले प्रत्येक निगम वार्ड में दो उपयुक्त स्थलों पर निर्धारित समय पर प्रतिदिन दो बार 500–500 भोजन (लंच और डिनर) के लिए फूड सेंटर/हंगर रिलीफ सेंटर चालू किए हैं।

और जबकि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 29.03.2020 के आदेश के द्वारा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और राज्यध्संघ शासित प्रदेश प्राधिकरणों को निदेश दिए हैं कि वे गरीबों और जरूरतमंद लोगों सहित ऐसे प्रवासी मजदूरों के लिए, जो संबंधित क्षेत्रों में लॉकडाउन के कारण रुके हुए हैं, के लिए अस्थायी शेल्टरों और भोजन इत्यादि की व्यवस्था करें/

और जबकि आदेश सं. डीडीएमए/कोविड/2020/1/13, दिनांक 01.04.2020 दिल्ली के लोगों की सहायता करने के साथ ही साथ, अन्य बातों के साथ, फूड/हंगर रिलीफ सेंटरों और उचित दर दुकानों/राशन की दुकानों/पीडीएस आउटलेट्स की जानकारी के लिए दिल्ली कोविड–19 हैल्पलाइन नंबर 1031 जारी किया गया है/

और जबकि आदेश सं. डीडीएमए/कोविड/2020/1/14, दिनांक 02.04.2020 के द्वारा, संबंधित जिलाधिकारिय/पुलिस उपायुक्त के संयुक्त आकलन के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के ऐसे सरकारी स्कूलों अतिरिक्त हंगर रिलीफ सेंटर खोले जाने की आवश्यकता है, अतः ऐसे सेंटर खोले जाने तथा उन्हें चालू किए जाने के आदेश दिए गए हैं/

और जबकि यह महसूस किया गया है कि जमीनी स्तर पर इस व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है ताकि हर हालत में दिल्ली को भूख से मुक्त करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके और एक भी व्यक्ति भूखा न रहे/

अतः, अब, गृह मंत्रालय के उपर्युक्त आदेशों के तहत जारी निदेशों और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 22 के तहत तथा दिनांक 26.03.2020 (अनुलग्नक–I) के उक्त आदेश के क्रम में राज्य कार्यकारी समिति रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार, के अध्यक्ष के रूप में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश

दिए जाते हैं कि जिलाधिकारी और उनके समकक्ष जिला पुलिस उपायुक्त दैनिक आधार पर भोजन के वितरण संबंधी समस्त मुद्दों पर विचार करें और उच्च प्राथमिकता देते हुए इस संबंध में किन्हीं समस्याओं को हल करें. साथ ही, निर्धारित नियमानुसार गुणवत्ता वाला भोजन सुगम और कुशल तरीके से वितरित किए जाने के लिए, दिल्ली के प्रयेक जिले में दिल्ली पुलिस का एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो सहायक पुलिस अधिकारी के रैंक से कम नहीं होगा. उक्त नोडल अधिकारी बीट पुलिसिंग सिस्टम/पुलिस स्टेशन/चौकियों/स्पेशल ब्रांच इत्यादि के माध्यम से विभिन्न पुल्सि हैल्पलाइन/पीसीआर पर भोजन/अस्थायी शेल्टर इत्यादि के संबंध में अनुरोध/मांग अथवा शिकायतों को एकत्र करेगा तथा उनके संतोषजनक हल के लिए संबंधित इंसिडेंट कमाडर से समन्वय रखेगा, जिसके लिए संभावना तथा पारदर्शिता के उच्च मानकों का ध्यान रखा जाएगा।

साथ ही, ऐसे किसी अनुरोध/मांग अथवा शिकायतों के हल नहीं होने पर जिलों के दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की बैठकों के समक्ष तत्संबंधी फीडबैक रखा जाएगा तथा उनका निपटान संयुक्त रूप से किया जाएगा तथा उन बैठकों के कार्यवृत्त दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को भेजे जाएंगे।

यह दोहराया जाता है कि कोविड–19 के परिप्रेक्ष में इन सेंटरों पर भोजन के वितरण/परोसे जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य उपायों से संबंधित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

यह आदेश 14.04.2020 की मध्यरात्रि तक वैध रहेगा.

संलग्नः यथोक्त

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

सेवा में,

1. आयुक्त पुलिस, दिल्ली।
2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
3. समस्त जिला उपायुक्त पुलिस, दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, दिल्ली।
4. प्रधान सचिव, शहरी विकास, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. समस्त राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य, डीडीएमए।
6. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय को व्यापक प्रचार हेतु।
7. एसआईओ, एनआईसी, दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।